खण्ड-2 संख्या-15

एकादश बिहार विधान-सभा वादवृत्त

(भाग-1 कार्यवाही प्रश्नोत्तर.)

सत्यमेव जयते

दिनांक : 19 जून, 1995 ई०

श्री रघुनाथ झा : अध्यक्ष महोदय, इसमें समय चाहिए।

श्री गजेन्द्र प्रसाद सिंह : अध्यक्ष महोदय, ये समय क्यों ले रहे हैं अब इसका कब जवाब देंगें और इसमें तो केवल पंखा लगाने की बात है?

श्री रघुनाथ झा : अध्यक्ष महोदय, जब पंखा लगाने की बात है तो इतना जरूर कह दे सकते हैं कि एक महीने के अंदर पंखा लगवा देंगे ।

कारा का स्थानान्तरण

*1098. श्री ध्रुव भगत – क्या मंत्री, गृह (कारा) विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि –

1. क्या यह बात सही है कि साहेबगंज जिलान्तर्गत साहेबगंज मंडल कारा का भवन जगह-जगह से टुट गया है।
2. क्या यह बात सही है कि साहेबगंज मंडल कारा का नव निर्मित भवन बनकर तैयार हो गया है।
3. क्या यह बात सही है कि साहेबगंज के तत्कालीन उपायुक्त श्री सुभाष शर्मा ने दिसम्बर, 1994 में ही नए भवन में मंडल कारा को स्थानान्तरित करने की तिथि निश्चित की थी ।
4. यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो नये भवन में मंडल कारा को अभी तक स्थानान्तरित नहीं करने का क्या औचित्य है?

श्री रघुनाथ झा : (1) उत्तर स्वीकारात्मक है । पुराना उप-कारा भवन जगह-जगह पर टुटा हुआ था।

(2) उत्तर स्वीकारात्मक है।

(3) उत्तर अस्वीकारात्मक है। क्योंकि तिथि निश्चित नहीं की गयी थी ।

(4) दिनांक 25.5.95 को नया उप कारा भवन साहेबगंज की अधिसूचना जारी की गयी और दिनांक 8.6.95 को बंदियों को पुराना उप–कारा से नया उपकारा में स्थानान्तरित कर दिया गया ।

श्री ध्रुव भगत : 1. एकपाद/द्विपाद वन्धरासन मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि पेयजल और शौचालय की पर्याप्त व्यवस्था अभी तक क्यों नहीं हो पायी है?

श्री रघुनाथ झा : अध्यक्ष महोदय, इन्होंने पूछा था कि पुराना है पहले वाला, तो जब नया बन गया तो स्थानान्तरित हुआ। और इस बात को पहले भेजे रहते तो जानकारी लेकर जवाब देते । जब आपका सवाल है तो जेल शिफ्ट हुआ होगा तो निश्चित रूप से व्यवस्था हुई होगी । आप पहले ही सब बात भेजे रहते ।

श्री ध्रुव भगत : मैं वहाँ कल देखकर आया हूँ । बिजली, पेयजल और शौचालय की पूर्ण रूप से वहाँ व्यवस्था नहीं हो पायी है।

अध्यक्ष : वह करेंगे ।

आरक्षी अधीक्षक की प्रतिनियुक्ति

* 1100. श्री यदुंवश सिंह – क्या मंत्री, गृह (आरक्षी) विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि –

1. क्या यह बात सही है कि वर्ष 1994 में लखीसराय को जिला बनाया गया पर आज तक आरक्षी अधीक्षक की प्रतिनियुक्ति नहीं की गयी है।